

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में उद्घाटन व आईटी एक्ट की घटनाओं में वांछित की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक उत्तरी एव पुलिस अधीक्षक अपराध के मार्गदर्शन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के कुशल नेतृत्व पिपराइच पुलिस टीम को लगाया गया था। दिनांक 27.09.2019 को प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह, के नेतृत्व में उ०नि० छोटेलाल, हे०का० कयुम अली, का० अमरनाथ यादव, का० ओमजी पाण्डेय का० शशिकान्त राय (अपराध शाखा गोरखपुर) के साथ अभियुक्त करन शर्मा उर्फ पुष्पेन्द्र रामनिवाश शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा ग्राम नसरतपुर थाना मुहम्मदाबाद जिला गाजीपुर जो वर्ष 2016 में एक शादी समारोह में आया था उसी दौरान गाँव के लडकी से सम्पर्क हो गया तथा उसको झासे में लेकर उसका फोटो लेकर ह्वाट्सअप तथा फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी से अश्लील चित्र व मैसेज भेज कर परेशान करता था जिसे पुलिस टीम द्वारा थाना न्यु अशोक नगर न्यु दिल्ली से गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 130/18 धारा 384/506 भादवि व 67ए आईटी एक्ट में जेल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त करन शर्मा उर्फ पुष्पेन्द्र रामनिवाश शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा ग्राम नसरतपुर थाना मुहम्मदाबाद जिला गाजीपुर द्वारा घटना कारित की गयी है। जिसके सम्बन्ध में पूर्व में मु०अ०सं० 130/18 धारा 384/506 भादवि व 67ए आईटी एक्ट थाना पिपराइच पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता -

- 1- करन शर्मा उर्फ पुष्पेन्द्र करन शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा ग्राम नसरतपुर थाना मुहम्मदाबाद जिला गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा, थाना व जिला	घटना का संक्षिप्त विवरण	अभियुक्त का नाम पता
1.	130/18	384/506 भादवि व 67ए आईटी एक्ट	दि० 2016 में अभियुक्त द्वारा वादिनी का अश्लील विडियो वायरल करना व पैसे की मांग करना	करन शर्मा उर्फ पुष्पेन्द्र रामनिवाश शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा ग्राम नसरतपुर थाना मुहम्मदाबाद जिला गाजीपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम -

1. प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह, थाना पिपराइच
2. उ०नि० छोटेलाल, थाना पिपराइच
3. हे०का० कयुम अली, थाना पिपराइच
4. का० अमरनाथ यादव, थाना पिपराइच

5.का0 ओमजी पाण्डेय, थाना पिपराइच

6.का0 शशिकान्त राय ,अपराध शाखा गोरखपुर

